12.6.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के कैम्प रसूलान की दफ्तर में पेश हुई। चूंकि मुलवाद निर्णीत किया जा चुका है इस अविदन में अब आगे कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः इस अविदन में आगामी कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त कर न्यायालय हमा द्वारा जारी स्थगन आदेश दि० 1.10.15 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन